21/03/24	प्रार्थी पक्ष द्वारा अधि० वादी स्वयं होकर कहा अदालत पर NOT Press अंकित का वाद पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहते का निवेदन किया गया/प्रा० पत्र पेश किया तथा अवलोकन रहे। प्रार्थी का अवलोकन किया/मनन किया/अधि० वादी स्वयं वाद पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहते है, प्रार्थी स्वयं के अधि० वादी/वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 92, 89, 188 RTA 1951 को विद्वान न्यायालय की नहीं है। प्रार्थी का मामला निर्णित करते हुए अभिलेख विद्वान को [illegible] वाद कार्यवाही [illegible] निर्णय मूल न्यायालय में [illegible] लिखाया गया।	NOT Pres [illegible] उपरोक्त राशि मामले से कार्यवा नहीं चाहते है [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Singh
Date: 2024.03.29 12:04:24 IST
Reason: SelfAttested

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशनी